

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 28()पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./कार्य व्यवस्था/2015/223 जयपुर, दिनांक 05-02-2020

:: आदेश ::

निम्नलिखित कार्मिको को अग्रिम आदेशों तक पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के विधि अनुभाग में तत्काल प्रभाव से कार्य व्यवस्थार्थ लगाया जाता है:-

क.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	पदस्थापित स्थान
1	श्री राकेश शर्मा	सहायक सचिव	पं.स.लक्ष्मणगढ़ (अलवर)
2	श्री सुरेश चन्द मीणा	पंचायत प्रसार अधिकारी	पं.स.लक्ष्मणगढ़ (अलवर)
3	श्री शशि कुमार	पंचायत प्रसार अधिकारी	पं.स.विराटनगर (जयपुर)
4	श्री चेतन रूहेला	पंचायत प्रसार अधिकारी	पं.स.विराटनगर (जयपुर)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव एवं उपायुक्त (प्रथम), पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर, जयपुर।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ (अलवर), विराटनगर (जयपुर) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्मिको को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करावें।
7. संबंधित सहायक सचिव/पंचायत प्रसार अधिकारी को पालनार्थ।
8. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
9. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II).